न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर
बइजलास डॉ0 अमित यादव,आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या :–295/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :–2022/386

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
1. गुलाम सरवर पुत्र नूर आलम जाति पीरजादा मुसलमान 2. मईनूदीन पुत्र गुलाम सरवर जाति पीरजादा मुसलमान 3. मोहम्मद मनसुर पुत्र गुलाम सरवर जाति पीरजादा मुसलमान निवासीगण अरावली वन विभाग के पीछे नागौर तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2. पटवारी हल्का नागौर तहसील व जिला नागौर

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :– 13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 सरकार बनाम गुलाम सरवर में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपील पेश करने की निर्धारित समयावधि दिनांक 09.09.2022 तक थी। अपीलार्थी द्वारा अपील को तैयार करवाकर पेश करना था, परन्तु अपीलार्थी दिनांक 08.09.2022 व 09.09.2022 को बीमार हो जाने के कारण समय पर अपील पेश नहीं कर सका व नकल प्राप्त में लगे समय को समायोजित करने पर निर्धारित अवधि दिनांक 13.09.2022 तक निर्धारित होती है। दिनांक 10.09.2022 व 11.09.2022 को अवकाश होने के कारण अपील दिनांक 13.09.2022 को पेश की गई है, जो उक्तानुसार अन्दर मयाद है, फिर भी हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अन्दर मयाद शुमार किया जावें। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर किसी तरह का ऐतराज नहीं होने का कथन किया। उपर्युक्तानुसार तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष इस आशय की पेश की कि गुलाम सरवर पुत्र नूर आलम व मईनुदीन, मो. मानसुर पुत्रगण गुलाम सरवर जाति पीरजादा ने मौजा नागौर के ख.नं. 592/906 रकबा 2700 वर्गफीट किस्म गै. मु. अंगोर भूमि पर सम्वत् 2079 में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार नागौर के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया व अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तत्पश्चात बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये व बिना पटवारी हल्का के बयान लिये व जिरह का अवसर दिये बिना व जवाब के तथ्यों पर गौर किये बिना ही बिना बहस सुने तहसीलदार नागौर ने दिनांक 10.08.2022 को अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माना व बेदखली का आदेश पारित कर दिया,जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलार्थी ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया कि उसका मकान शहर नागौर की आबादी के मध्य अरावली वन विभाग कार्यालय के पास बना हुआ है। मकान में बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन लिये हुए है, जिस हेतू नगर परिषद नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

द्वारा आबादी भूमि होने के कारण एन.ओ.सी. जारी की गई व समय–समय पर सरकारी सर्वे में पुराना निवास मानकर राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि पहचान के दस्तावेज जारी किये हुए है। बने हुए है। जो जायगां नागौर की आबादी के मध्य स्थित है किसी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है। उक्त मकान के चारों और आबादी स्थित है व सैकड़ों की संख्या में रहवासी मकान आस पास व चारों ओर बने हुए है। पुराने आवास व कब्जा को नियमन करने बाबत सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी कर रखे है व मकान पुराना बना हुआ है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट कथन अपीलार्थी ने अपने जवाब में अंकित किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवलोकन ही नही किया व न ही जवाब के तथ्यों का किसी प्रकार का विवेचन ही किया व न ही अपने निर्णय में तथ्यों का उल्लेख किया है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय विधिसमत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी का रहवासी जायगां किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 592/906 में स्थित नही है व न ही अंगोर भूमि में है बल्कि आबादी भूमि मे स्थित है। जिसके सम्बन्ध में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिये इस सम्बन्ध में अतिक्रमण साबित करने हेतू पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान करवाये जाने व अतिक्रमण साबित करने हेतू मौका रिपोर्ट मय सीमांकन पेश करवायी जानी आवश्यक थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य से अतिक्रमण साबित किये ही गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो विधिसमत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही प्रकरण में अतिक्रमी बताकर एक ही नोटिस देकर एक ही प्रकरण दर्ज किया है जबकि विधि अनुसार सभी के विरूद्ध अलग अलग प्रकरण दर्ज कर अलग अलग नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था जो विधि का आज्ञापक प्रावधान है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त होने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.08.2022 को अपास्त करने का आदेश प्रदान करने एवं विकल्प में अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर राजस्व टीम से सम्पूर्ण भूमि का पूर्ण नाप चौप कर सीमांकन रिपोर्ट पेश करवाकर पटवारी हल्का के बयान लेकर व साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण तहसीलदार,नागौर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1980 पेज 483 एवं आर0आर0डी0 1980 एनयूसी 66 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर यह निवेदन किया कि पटवारी द्वारा बिना जॉच किये एक पक्षीय रिपोर्ट पेश की है,जो निरस्त योग्य हैं एवं तहसीलदार को आबादी भूमि के सम्बन्ध में दफा 91 आर.एल.आर.एक्ट. के तहत कार्यवाही करने के अधिकार नहीं हैं।

राजपेरोकार ने अपनी बहस में यह कथन किया आराजी मुतनाजा गै0मु0 अंगोर की भूमि हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया हैं,जिसके विरूद्ध तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर बेदखली एवं जुर्माना के आदेश दिये हैं,जो सही दिये गये हैं। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

राजपेरोकार ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज0राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की प्रति पेश कर अंगोर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों की पेश नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि पटवारी हल्का,नागौर द्वारा गैर सायलान के विरूद्ध मौजा नागौर के खसरा नम्बर 592/906 रकबा 2700 वर्गफीट किस्म भूमि गै0मु0 अंगोर भूमि पर जरिऐ पक्का मकान व बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार,नागौर को पेश की हैं। तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2022 दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे दिनांक 10.08.2022 को निर्णय पारित किया हैं। अपीलांट का यह कहना कि उन्हें सुनवाई एवं सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं,पत्रावली के अवलोकन से यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट हैं कि अपीलांटान को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद खसरा नम्बर 592/906 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि अपीलांटान के स्वामित्व की भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं,जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता हैं कि गैर

कलक्टर नागौर

सायलान द्वारा गै0मु0 अंगोर की भूमि पर पक्का मकान व बाड़ा बनाकर नाजायज अतिक्रमण किया गया हैं तथा जिसके विरूद्व तहसीलदार,नागौर द्वारा की गई यह कार्यवाही विधिवत हैं एवं तहसीलदार,नागौर के निर्णय दिनांक 10.08.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

विद्वान वकील अपीलांटन का यह तर्क हैं कि अपीलांटान के विरूद्व अलग2 प्रकरण दर्ज होने चाहिऐ थे,जो अलग2 दर्ज नहीं कर तहसीलदार द्वारा एक ही प्रकरण बनाया गया हैं तथा उनका यह भी कथन रहा हैं कि तथाकथित जायदाद उनकी जरिऐ इकरारनामा कय सुदा भूमि हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांटान का संयुक्त कब्जा कर अतिक्रमण मानते हुवे यह कार्यवाही तहसीलदार को पेश की हैं,इसलिए उनके विरूद्व एक ही प्रकरण बनाया जाना था,जो सही बनाया गया हैं। दूसरा बिन्दू यह हैं कि यह जायदाद उनकी कय सुदा हैं,इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा 28.06.2009 के अवलोकन से निष्पादनकर्ता द्वारा जिस प्लोट का इकरारनामा किया गया हैं,उसके विधिवत स्वामित्व का होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलबध नहीं हैं तथा यह तथाकथित कय सुदा प्लॉट आबादी में हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य का भी अभाव हैं। जबकि पटवारी हल्का,नागौर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटान द्वारा खसरा नम्बर 592/906 गै0मु0 अंगोर की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जेर अपील की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर